क्रम-संख्या–151

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 797 / 79-वि-1–21-1-क-20-21
लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 जिससे राजनैतिक पेंशन अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन)
अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016 की धारा 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

परन्तु यह और कि ऐसे लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के पश्चात् अगले दिवस से इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और अन्य सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगी/होगा, किन्तु ऐसा आवेदन, ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के भीतर किये जाने की अपेक्षा की जायेगी:

परन्तु यह भी कि यदि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति द्वारा सम्मान राशि और अन्य सुविधाओं के लिये पूर्वोक्त आवेदन, लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के तीन माह के पश्चात् किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सम्मान राशि और अन्य सुविधायें, उक्त आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।

———

उद्देश्य और कारण

लोकतंत्र सेनानियों, जिन्होंने आपात अवधि (दिनांक 25 जून, 1975 से दिनांक 21 मार्च, 1977 तक) के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जिन्हें ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के लिए मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध किया गया था, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं निःशुल्क चिकित्सा का उपबंध करने के लिये उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 में अन्य बातों के साथ यह उपबंध है कि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की स्थिति में लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा।

वस्तुतः पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों के आलोक में मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति के आवेदन को स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया में प्रायः स्वाभाविक रूप से प्रक्रियात्मक विलम्ब हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कतिपय उपबंध किये जाने आवश्यक हैं कि मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को सम्मान राशि और अन्य सुविधायें, ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने की तिथि के अगले दिन से प्राप्त होने लगें।

अतएव ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के अगले दिन से लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, उत्तराधिकारी पत्नी या पति को सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक परन्तुक जोड़कर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। परन्तु यह कि यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति ऐसे लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के भीतर सम्मान राशि तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिये आवेदन करें। यदि ऐसा आवेदन लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने के तीन माह के पश्चात् किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं, उक्त आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 797 (2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-20-21
Dated Lucknow, August 24, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senaani Samman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Rajnaitik Pension Anubhag-3 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR (AMENDMENT) ACT, 2021

(U.P. Act no. 25 of 2021)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

It is hereby enacted in the Seventy second Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Act, 2021.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 9 of 2016

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 in sub-section (1) *after* the proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :–

Provided further that the successor wife or husband of such fighter of democracy, as the case may be, shall be entitled to get the honour money and other facilities under this sub-section from the next day after the death of such fighter of democracy, but such application shall be required to be made within three months of the death of such fighter of democracy:

Provided also that if the aforesaid application for the honour money and other facilities is given by the successor wife or husband of the deceased fighter of democracy as the case may be, three months after the death of the democracy fighter, then in such a situation, the honour money and other facilities shall be provided from the date of receipt of the said application.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 (U.P. Act no. 9 of 2016) has been enacted to provide for Honour Money, free transport facility and free medical facility to fighters of democeacy who actively fought to protect democracy during the emergency period (June 25, 1975 to March 21, 1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities. Section 6 of the said Act, *inter alia*, provides that in the event of the death of a fighter of democracy, the wife or husband of fighter of democracy, as the case may be, shall get Honour Money and other such facilities.

In fact, in light of the provisions of the aforesaid Act, there is often a natural procedural delay in the process of sanctioning of the application of the successor wife or husband, as the case may be, of the deceased fighter of democracy. In such a situation certain provisions need to be made to ensure that the successor wife or husband, as the case may be, of the deceased fighter of democracy gets Honour Money and other facilities from the day after the death of such fighter of democracy.

Therefore, it has been decided to amend section 6 of the aforesaid Act by adding a proviso to give Honour Money and other facilities to the successor wife or husband, as the case may be, of the fighter of democracy from the day after the death of such fighter of democracy provided that the successor wife or the husband, as the case may be, applies for receiving the Honour Money and other facilities within three months of the death of such fighter of democracy. If such an application is made after three months of the death of such fighter of democracy, then in such a situation the Honour Money and other facilities shall be provided from the date of receipt of such application.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 260 राजपत्र—2021—(586)—599 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 76 सा0 विधायी—2021—(587)—300 प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
260_RPH_vidhaika -21 Adhiniyam folder _(loktantra)-2021 Data-4E

क्रम-संख्या–199

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1890/79-वि-1–18-1(क)-17-2018

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016 की धारा 6 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 की धारा 6 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अर्थात् दिनांक 22 मार्च, 2016 के पूर्व जिनकी मृत्यु हो गयी थी, की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को इस उपधारा के अधीन सम्मान राशि और सुविधाएं, इस अधिनियम के अधीन, मृत लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति उत्तराधिकारी पत्नी या पति को उनके इस प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान की जायेंगी।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2016), ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जिन्होंने आपातकालीन अवधि (दिनांक 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977) के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिये वास्तव में संघर्ष किया था और जो ऐसे कार्यकलापों में भाग लेने के लिये मीसा/डी0आई0आर0 के अधीन कारागार में निरुद्ध किये गये थे, को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि किसी लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में यथास्थिति लोकतंत्र सेनानी की पत्नी या पति, सम्मान राशि और ऐसी सुविधायें प्राप्त करेंगे। ऐसे लोकतंत्र सेनानियों, जो इस रूप में घोषित किये गये थे तथा सम्मान राशि प्राप्त कर रहे थे और जिनकी उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की उत्तराधिकारी पत्नी या पति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन उपबंधित सम्मान राशि और सुविधायें, उन लोकतंत्र सेनानियों, जिनकी उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो गयी थी, की पत्नी या पति को भी उनके उक्त प्रयोजनार्थ किये गये आवेदन को स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रदान करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1890 (2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-17-2018
Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Loktantra Senani Samman (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR (AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P. Act No. 36 of 2018)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Act, 2018.

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 9 of 2016

2. In section 6 of the Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :-

"Provided that those Fighters of Democracy who were declared as such and getting honour money and died before the commencement of this Act *i.e.*, March 22, 2016, the successor wife or husband thereof, as the case may be, shall be given honour money and facilities under this sub-section with effect from the sanction of their application made for this purpose as sanctioned to the successor wife or husband as the case may be, of the deceased Fighter of Democracy under this Act."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour Act, 2016 (U.P. Act no. 9 of 2016) has been enacted to provide for Honour Money, free transport facility and free medical facility to fighters of democracy who actually fought to protect the democracy during emergency period (June 25, 1975 to March 21, 1977) and who were detained in jail under MISA/DIR for participating in such activities. Section 6 of the said Act *inter alia* provides that in the event of the death of a fighter of democracy, the wife or husband of the fighters of democracy, as the case may be, shall get the Honour money and such facilities. The fighters of democracy who were declaired as such and getting Honour money and died berore the commencement of the said Act, the successor wife or husband thereof are not entitled to get the facilities under section 6 of the said Act. It has been decided to amend the said Act to give Honour money and facilities provided under section 6 of the said Act to the wife or husband of those fighters of democracy also who died before the commencement of the said Act from the date of sanction of their application made for the said purpose.

The Uttar Pradesh Fighters of Democracy Honour (Amendment) Bill, 2018 is introduced accordingly.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 249 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(675)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 86 सा० विधायी–2018–(676)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)